भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4370

(दिनांक 19.07.2019 को उत्तर देने के लिए)

सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित करने वाले झूठे समाचार

4370. श्री जी. एम. सिद्देश्वराः

श्री जयंत सिन्हाः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इलेक्ट्रॉनिक और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से झूठे समाचारों को फैलाया जा रहा है और इससे देश के सामाजिक ताने-बाने पर बुरा प्रभाव पड़ता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश की शांति और सद्भाव को बिगाड़ने वाले ऐसे झूठे समाचारों को जानबूझकर फैलाने वाले दोषियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है;

(ग) क्या ऐसी दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों को रोकने के लिए विधेयक लाने का विचार है और यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(घ) क्या सरकार ने किसी ऐसे प्रकोष्ठ का गठन किया है जो यह सुनिश्चित करेगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई भी फर्जी समाचार रिपोर्ट नहीं हो और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा सूचना और प्रसारण मंत्री

(श्री प्रकाश जावड़ेकर)

(क): मीडिया में जाली समाचारों के मामले समय-समय पर सरकार की जानकारी में आते रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने सूचित किया है कि उसने इंटरनेट विशेषकर वाट्सअप पर जाली समाचारों, भ्रामक सूचना/दुष्प्रचार के प्रसार के बारे में मीडिया की रिपोर्टों को संज्ञान में लिया है।

(ख) से (घ): केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत निरुपित कार्यक्रम संहिता में अन्य के साथ-साथ ऐसे कार्यक्रम के प्रसारण का निषेध किया गया है (i) जिसमें सम्प्रदायों अथवा समुदायों पर हमले का उल्लेख किया गया हो अथवा जिसमें धार्मिक समूहों का तिरस्कार करने वाले दृश्यों अथवा शब्दों का समावेश हो या जो साम्प्रदायिक अभिवृत्तियों को बढ़ावा देते हों; (ii) जिसमें किसी भी प्रकार की अश्लील, मानहानिप्रद, सुविचारित, असत्य तथा सांकेतिक वक्रोक्तियों और अर्द्धसत्य विषय-वस्तु का समावेश हो; तथा (iii) जिससे हिंसा को बढ़ावा देने अथवा उसके भड़कने की संभावना हो या जिसमें कानून और व्यवस्था के रख-रखाव के प्रतिकूल किसी भी प्रकार की विषय-वस्तु का समावेश हो अथवा जो राष्ट्र-विरोधी अभिवृत्तियों को बढ़ावा देता हो।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित अंतर-मंत्रालयीय समिति (आईएमसी) कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच करती है तथा टीवी चैनलों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा करती है। मंत्रालय ने केबल टीवी चैनलों पर प्रसारित विषय-वस्तु की निगरानी करने के लिए जिला स्तरीय तथा राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग समितियों की स्थापना करने हेतु राज्यों को निदेश भी जारी किए हैं। इसकी मॉनीटरिंग वर्ष 2005 से की जा रही है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69क में सरकार को भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध अथवा लोक व्यवस्था के हित में या उपर्युक्त से संबंधित किसी भी प्रकार के संज्ञेय अपराध को भड़कने से रोकने के लिए किसी भी कम्प्यूटर संसाधन में किसी भी प्रकार की सृजित, प्रसारित, प्राप्त, भंडारित अथवा पोषित सूचना को ब्लॉक करने की शक्ति प्रदान की गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचित किया है कि दिनांक 03.07.2018 तथा 19.07.2018 को वाट्सअप को नोटिस जारी किए गए थे ताकि उनके प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हुए प्रसारित भ्रामक समाचारों के मुद्दे का समाधान किया जा सके।

भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) ने समाचार प्रकाशित करने वाले मीडिया द्वारा अनुपालन करने के लिए ''पत्रकारिता आचरण के मानदंडों'' का निरुपण किया है जो यथार्थपूर्ण और निष्पक्ष है। प्रेस परिषद (जांच क्रियाविधि) विनियम, 1979 के अनुसार पीसीआई के पास उसे प्राप्त होने वाली किसी भी शिकायत का समाधान करने के लिए एक संस्थागत कार्यतंत्र विद्यमान है तथा उसमें किसी समाचारपत्र, समाचार एजेंसी, संपादक या पत्रकारों आदि को चेतावनी देने, उसकी निंदा या भर्त्सना करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

****